न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 25/12/दावा

1. झाबरमल उम्र 35 साल | पुत्रगण मुन्नाराम
2. राम लाल उम्र 32 साल |
3. श्यामाराम पुत्र गंगाराम उम्र 60 साल

समस्त जाति जाट निवासीगण लाडपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

–प्रार्थीगण

बनाम

1. रामकरण पुत्र मूंगाराम उम्र 50 साल जाति जाट निवासी रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
2. प्रभाती देवी धर्मपत्नी स्व. मुन्नाराम उम्र 57 साल
3. तेजाराम उम्र 26 साल | पुत्रगण मुन्नाराम
4. बोदु राम उम्र 24 साल |
5. सुभाष चन्द उम्र 22 साल |
6. मोहन लाल उम्र 30 साल |

   समस्त जाति जाट निवासीगण लाडपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
7. उप पजीयक, दांतारामगढ जिला सीकर
8. पटवारी, पटवार हल्का, धींगपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
9. तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर
10. श्रीमती रूकमादेवी धर्मपत्नी प्रभातीलाल
11. श्रीमती लच्छीदेवी धर्मपत्नी अर्जुनलाल

    समस्त जाति जाट निवासीगण सामेर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

–अप्रार्थीगण

दावा बाबत बंटवारा

आवेदन अं.धारा 212 RTA

उपस्थिति–

1. श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील वादीगण की ओर
2. श्री लक्ष्मणसिंह शेखावत वकील प्रतिवादी सं. सं. 1, 10 व 11 की ओर से

निर्णय दिनांक– 11.06.2014

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि 478 रकबा 0.02 है0, 491 रकबा 0.05 है0, 492 रकबा 1.41 है0, 493 रकबा 0.01 है., 494 रकबा 2.00 है., 495 रकबा 00.09 है0, 547 रकबा 2.10 है., 548 रकबा 1.01 है0 एवं 471 रकबा 0.38 है0 किता 9 कुल रकबा 7.07 है0

उपखण्ड अधिकारी

दांतारामगढ

तन ग्राम लाडपुर प.मं. धींगपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि आवेदकगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त रूप से शामलाती संपदा है तथा पक्षकारान संयुक्त रूप से ही आपस में बाहमी बंटवारा कर मौके पर सींव नींव कायम कर रखी है एवं काबिज काश्त है, परन्तु इन पक्षकारान के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है जिसकी वजह से अब अप्रार्थी सं. 1 के मन में बदनीयति आ गई है एवं उपरोक्त विवादित भूमियों के बिना राजस्व रिकार्ड में विधिवत बंटवारा करवाये ही अनावेदक सं. 2 ता 4 से मिलकर भूमियों के राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करने व अन्य किसी दीगर व्यक्ति को हस्तांतरित करने पर आमादा है जिसका अप्रार्थी को कोई हक व अधिकार नहीं है। अगर अनावेदकगण आपस में षडयंत्रपूर्वक वर्णित विवादित शामलाती भूमियों का किसी दीगर व्यक्ति को रहन, बेचान एवं हस्तांतरित कर प्रार्थीगण के कदीमी कब्जे, काश्त व उपयोग उपभोग में दखलंदाजी करने, खातेदारीशुदा भूमियों की मौके की भौतिक स्थिति में परिवर्तन कर बिना बंटवारा करवाये ही राजस्व रिकार्ड में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने में कामयाब हो गये तो इस कदर प्रार्थीगण को घोर असुविधा व अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी तलाफी भविष्य में कानून द्वारा भरपाई किया जाना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। इस कदर आवेदकगण को अत्यधिक सांपतिक अधिकारों का हनन होगा व अनावश्यक मुकदमेंबाजी को प्रोत्साहन मिलेगा। फलस्वरूप अनावेदकगण को उपरोक्त वर्णित शामलाती कृषि भूमियों के बिना बंटवारा करवाये राजस्व रिकार्ड व मौका स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने व आवेदकगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी करने से जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना सादर प्रार्थनीय है। प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थीगण का सुदृढ है एवं सुविधा का संतुलन भी आवेदकगण के पक्ष मं होने से विवादग्रस्त शामलाती कृषि भूमि को अनावेदकगण द्वारा किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द कर उपयोग उपभोग में दखंलदाजी करने से अपूर्तनीय क्षति भी स्वयं आवेदकगण को ही होती है। अतः आवेद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अनावेदकगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि आवेदन की मद सं. 2 में वर्णित शामलाती कृषि भूमियों को रहन, बेचान एवं हस्तांतरित कर सींव नींव तोड़ने, मौका सूरत व राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन कर प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में दखलंदाजी करने से मय अपने परिजन नौकर बाज रहे।

2. आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 2 ता 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से वकील श्री लक्ष्मणसिंह शेखावत हाजिर हुए एवं रूकमादेवी व लच्छीदेवी द्वारा आवेदन अं.आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का आवेदन जरिये वकील श्री लक्ष्मणसिंह शेखावत द्वारा पेश किये जाने पर बाद सुनवाई आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं. 5 व 6 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया। अप्रार्थी सं. 5 व 6 ने जरिये वकील आवेदन स्थगन का बिन्दुवार जवाब पेश कर निवेदन किया कि आवेदन की मद सं. 1 गलत है अस्वीकार है वादी का मूल दावा ही बिना अधिकार व बिना ठोस कारण के होने के कारण आवेदकगण को सफलता प्राप्त होने क लेस मात्र भी गुजांईस नहीं है। मद सं. 2 में कृषि भूमियों की स्थिति के बारे में इंकारी नहीं है। मद सं. 3 में कृषि भूमियों की आवेदक व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में होना व आपस में बाहमी बंटवारा करके अलग अलग सींव नींव कायम कर काबिज होना

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

स्वीकार है एवं विधिवत बंटवारा नहीं होना भी स्वीकार है, शेष कथन गलत है। अनावेदिकागण के मन में किसी प्रकार की बदनीयति नहीं है। अप्रार्थी सं. 1 को अपने हिस्सेव खातेदारी की भूमि को अंतरित करने को पूरा अधिकार है इसी अधिकार के तहत अनावेदक सं. 1 द्वारा खसरा नं. 547 रकबा 2.10 है0 में अपना हिस्सा 1/30 अर्थात् रकबा 0.07 है. व ख.नं. 548 रकबा 3.11 है. में अपना हिस्सा 4/311 की 0.04 है. भूमि अर्थात् कुल 0.11 है. भूमि उतरदाता रूकमादेवी व लच्छीदेवी को जो कि भूमियों के पड़ौसी खातेदार है, को जरिये पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 13.02.2012 को रूपये 42,600/– नकद प्राप्त कर बेचान कर दी है एवं कब्जा उतरदाता लच्छीदेवी व रूकमादेवी ने वास्तविक व व्यावहारिक रूप से प्राप्त कर लिया है। इस विकय पत्र से बंटवारे में किसी प्रकार की बाधा का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि अप्रार्थी सं. 1 ने आवेदक से रास्ते के उपयोग के लिए कय की थी। उक्त कय शुदा भूमि ख.नं. 547 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे है। उक्त भूमि उतरदाता के बंटवारे में आयी है। उतरदाता ने उक्त 0.11 है. भूमि अपनी कृषि भूमियों मे जाने के लिए रास्ते के लिए कय की है जो भूमि आवेदकगण ने ही अप्रार्थी रामकरण को रास्ते के उपयोग के लिए विकय की थी एवं उतरदाता ने रामकरण से रास्ते के लिए ही कय की है जो रास्ते के उपयोग में ही आ रही है। मद सं. 4 गलत है अस्वीकार है। अप्रार्थी सं. 1 को अप्रार्थीगण सं. 7 ता 9 से षडयंत्र करने की कोई आवश्यकता ही नहीं हुई उसने तो अपना हिस्सा मात्र उतरदाता रूकमादेवी व लच्छीदेवी को विकय किया है। आवेदकमगण के हिस्से को विकय नहीं किया है आवेदक अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है। अप्रार्थी सं. 1 के हिस्से की भूमि पर केता दिनांक 13.02.2013 से ही वास्तविक व व्यावहारिक कब्जा अधिकार प्राप्त कर लिया है एवं साधिकार उपयोग व उपभोग में ले रही है। राजस्व रिकार्ड में विकय पत्र के आधार पर परिवर्तन करवाने से अप्रार्थीगण को पाबन्द करवाने के आवेदक को अधिकार प्राप्त नहीं है। मद सं. 5 गलत है अस्वीकार है। आवेदक स्वये अपने आवेदन व आवदेन के मदों में मानकर आ रहा है कि बाहमी बंटवारा कर अलग अलग सींव नींव कायम कर रखी है एवं अपने अपने हिस्से पर साधिकार उपयोग उपभोग कर रहे है तो किसी भी हिस्सेदार द्वारा दखलंदाजी का प्रश्न ही नहीं है। इस प्रकार न तो आवेदन का सुपुष्ट मामला है न सुविधा का संतुलन ही उासके पक्ष में है। मद सं. 6 जिस तरह से तहरीर की गई है कानूनी है। विशेष उतर में कथन किया है कि आवेदक का मूल दावा ही अकारण व बिना ठोस आधारों के व विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज होने योग्य है तो यह आवेदन किसी भी सूरत में स्थिर रहने योग्य नहीं है। आवेदक का दावा बंटवारे का है अनावेदकगण सहकाश्तकार हे तथा काबिज खातेदार/काश्तकार है ऐसी सूरत में उनके विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्रचारित की जाती है तो फिर बंटवारे के दावे में आवेदक को बंटवारे की रिलीफ कैसे संभव हो सकती है। अनावेदक रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार द्वारा अपना हिस्सा उतरदाता अनावेदकगण को दिनांक 13.02.2012 को विकय यकर दी है तथा अनावेदकगण द्वारा वास्तविक व व्यावहारिक कब्जा प्राप्त कर लिया है अब अनावेदकगण उतरदाता भी सहकाश्तकार रिकार्डेड खातेदार है इस प्रकार रिकार्डेड खातेदार सहकाश्तकार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा कानूनन प्रचारित नहीं की जा सकती है। आवेदक अपने हिस्से पर बाहमी बंटवारे के अनुसार अलग सींव नींव कायम कर काबिज है जैसा कि उसने स्वयं माना है तो फिर अन्य हिस्सेदारों के हिस्से व खातेदारी पर अस्थायी निषेधाज्ञा प्रचारित करवाने का उसे कोई अधिकार नहीं है। अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने की

उपखण्ड अधिकारी
दातारामगढ़

सूरत में अन्य हिस्सेदार बंटवारे में अपना पक्ष रखने से वंचित रह जायेंगें ऐसी सूरत में मूल दावे का यथोचित प्रभावी निर्णय करने में न्यायालय को सहायता नहीं मिलेगी ऐसी सूरत में आवेदन खारिज किया जावें।

3. उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि आवेदकगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त रूप से शामलाती संपदा है तथा पक्षकारान संयुक्त रूप से ही आपस में बाहमी बंटवारा कर मौके पर सींव नींव कायम कर रखी है एवं काबिज काश्त है, परन्तु इन पक्षकारान के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है जिसकी वजह से अब अप्रार्थी सं. 1 के मन में बदनीयति आ गई है एवं उपरोक्त विवादित भूमियों के बिना राजस्व रिकार्ड में विधिवत बंटवारा करवाये ही अनावेदक सं. 2 ता 4 से मिलकर भूमियों के राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करने व अन्य किसी दीगर व्यक्ति को हस्तांतरित करने पर आमादा है जिसका अप्रार्थी को कोई हक व अधिकार नहीं है। अगर अनावेदकगण आपस में षडयंत्रपूर्वक वर्णित विवादित शामलाती भूमियों का किसी दीगर व्यक्ति को रहन, बेचान एवं हस्तांतरित कर प्रार्थीगण के कदीमी कब्जे, काश्त व उपयोग उपभोग में दखलंदाजी करने, खातेदारीशुदा भूमियों की मौके की भौतिक स्थिति में परिवर्तन कर बिना बंटवारा करवाये ही राजस्व रिकार्ड में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने में कामयाब हो गये तो इस कदर प्रार्थीगण को घोर असुविधा व अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी तलाफी भविष्य में कानून द्वारा भरपाई किया जाना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा बिना बंटवारा करवाये विक्रय करने से अपूर्तनीय क्षति प्रार्थीगण को होगी। इसलिए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से तादौराने दावा पाबन्द फरमाया जावें। इसके विरूद्ध अप्रार्थी सं. 5 व 6 ने बहस के दौरान जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजियात आवेदक व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में है व आपस में बाहमी बंटवारा करके अलग अलग सींव नींव कायम कर काबिज है एवं विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। अप्रार्थी सं. 1 को अपने हिस्से व खातेदारी की भूमि को अंतरित करने को पूरा अधिकार है इसी अधिकार के तहत अनावेदक सं. 1 द्वारा खसरा नं. 547 रकबा 2.10 है0 में अपना हिस्सा 1/30 अर्थात् रकबा 0.07 है. व ख.नं. 548 रकबा 3.11 है. में अपना हिस्सा 4/311 की 0.04 है. भूमि अर्थात् कुल 0.11 है. भूमि रूकमादेवी व लच्छीदेवी को जो कि भूमियों के पड़ौसी खातेदार है, को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 13.02.2012 को बेचान कर दी है एवं कब्जा उतरदाता लच्छीदेवी व रूकमादेवी ने वास्तविक व व्यावहारिक रूप से प्राप्त कर लिया है। इस विक्रय पत्र से बंटवारे में किसी प्रकार की बाधा का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि अप्रार्थी सं. 1 ने आवेदक से रास्ते के उपयोग के लिए क्रय की थी। उक्त क्रय शुदा भूमि ख.नं. 547 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे है। उक्त भूमि उतरदाता के बंटवारे में आयी है। उतरदाता ने उक्त 0.11 है. भूमि अपनी कृषि भूमियों मे जाने के लिए रास्ते के लिए क्रय की है जो भूमि आवेदकगण ने ही अप्रार्थी रामकरण को रास्ते के उपयोग के लिए विक्रय की थी एवं उतरदाता ने रामकरण से रास्ते के लिए ही क्रय की है जो रास्ते के उपयोग में ही आ रही है। अब अनावेदकगण उतरदाता भी सहकाश्तकार रिकार्डेड खातेदार है इस प्रकार रिकार्डेड खातेदार सहकाश्तकार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा कानूनन प्रचारित नहीं की जा सकती है। आवेदक अपने हिस्से पर बाहमी बंटवारे के अनुसार अलग सींव नींव कायम कर काबिज

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

है जैसा कि उसने स्वयं माना है तो फिर अन्य हिस्सेदारों के हिस्से व खातेदारी पर अस्थायी निषेधाज्ञा प्रचारित करवाने का उसे कोई अधिकार नहीं है।

4. हमने उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। ग्राम लाडपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की जमाबंदी खाता सं. 44 संवत् 2065–68 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा विवादित आराजियात ख.नं. 547 व 548 में से कय की गई थी तथा अप्रार्थी रामकरण द्वारा उक्त कय शुदा भूमि को अप्रार्थी सं. 5 व 6 को विकीत कर दी है। प्रार्थीगण ने अपने दावा व आवेदन में यह उल्लेख करके आये है कि विवादित आराजियात का प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अपने अपने हिस्से पर सींव नींव कर अलग अलग काश्त कब्जे में चली आ रही है। ऐसी स्थिति में जब अप्रार्थी सं. 1 द्वारा पूर्व में कय की गई भूमि का ही बेचान अप्रार्थीगण सं. 5 व 6 को किया गया है तथा अप्रार्थीगण अपने कय किये गये हिस्से को रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग में ले रहे है। ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्या मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में न होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में है तथा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी रहने से अपूर्तनीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द रखा जाना न्यायोचित नहीं है। प्रार्थीगण का प्रथमदृष्टया मामला नहीं बनता है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष नहीं है तथा प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति भी उपरोक्त विवेचन के आधार पर नहीं हो रही है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्थगन सारहीन होने से चलने योग्य नहीं है लिहाजा आवेदन स्थगन खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है। मिसल बाद तकमील कार्यवाही मूल दावा के संलग्न हो।

5. यह निर्णय आज दिनांक 11.06.2014 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ